

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक – 04.10.2026

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 202/2026 धारा 318(4)/317(2)
बी0एन0एस0 66(d) आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को साइबर फ्रॉड किये
1,30,000 रुपये व 01 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2026 धारा 318(4)/317(2) बी0एन0एस0 66(d) आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को फ्रॉड किये गये 1,30,000 रू0 सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र बच्चू लाल निवासी मदारा थाना साण्डी जनपद हरदोई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 25.09.2026 को वादिया रीना शुक्ला पत्नी श्री मुकेश शुक्ला निवासी सेनापति स्ट्रीट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ धोखाधड़ी करके 1,38,000 रुपये का फ्रॉड किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 202/2026 धारा 318(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना में साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त शैलेन्द्र उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर शैलेन्द्र उपरोक्त को साइबर फ्रॉड से अर्जित

1,30,000 मय 01 फोन सहित गिरफ्तार कर माल बरामदगी एवं तकनीकी का प्रयोग कर फ्रॉड करने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बीएनएस व 66 (डी) आई टी एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त शैलन्द्र उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैने रुपयों के लालच में आकर 1,38,000 रुपये का साइबर फ्रॉड किया था। मेरे पास से जो रुपये बरामद हुए है यह वही रुपये है जो मैने साइबर फ्रॉड से निकाले थे और बाकी पैसे मैने खर्च कर दिये थे। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम में माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 202/2026 धारा 318(4), 317(2) बी0एन0एस0 66(d) आईटी एक्ट थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

02. मु0अ0सं0 511/2019 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना सांडी जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण-

01. 1,30,000 रुपये

02. 01 मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस टीम –

1. SO श्री धर्मेन्द्र सिंह गहलौत
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार
3. का0 राहुल मलिक
4. रि0का0 शिवांक तिवारी

मीडिया सेल फतेहगढ़।